न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 48/2018
आर.सी.एम.एस. नं.:–2018/00177

1. रामेश्वरलाल पुत्र श्री सुखदेवराम जाति विश्नोई निवासी विश्नोईयों का मौहल्ला अलाय, तहसील व जिला नागौर।

––वादी––

–बनाम–

1. जन्नी पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी भूरबक्श जाति मुसलमान निवासी उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर हाल उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीकानेर।

––प्रतिवादीगण––

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट 1955

अभिभाषक उपस्थितिः–

1. **देवेन्द्र कुमार खत्री, अभिभाषक वादी की ओर से।**
2. **प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही ।**

–:निर्णयः– **दिनांकः– 19.02.2020**

वाद पत्र में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही ग्राम उदयरामसर खसरा नं. 1997/1134 तादादी 3.300 हैक्टेयर, खसरा नं. 1998/1135 तादादी 0.2200 हैक्टेयर कुल तादादी 3.5200 हैक्टेयर स्थित है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। उक्त कृषि भूमि में वादी के हिस्से की भूमि तादादी 3.08 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी सं. 1 की भूमि 0.44 हैक्टेयर स्थित है। वादी का कब्जा खसरा नं. 1997/1134, 1998/1135 तादादी 3.08 हैक्टेयर पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके अलावा अन्य भूमि से वादी का कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि शेष भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण वादी वर्तमान कब्जानुसार विभाजन करवाना चाहता है।

2. विवादग्रस्त कृषि भूमि के सयुंक्त खाता में रहने की वजह से कृषि भूमि को विकसित करने के लिये राजस्थान राज्य व अन्य वितीय संस्थाओं से मिल रहे लाभ व परिलाभ का पूर्ण रूपेण फायदा वादी प्राप्त नही कर सकता, क्योकि वितीय संस्थाओं से ऋण लेने, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये अन्य सहकाश्तकार सहमत होते हुवे भी समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण वादी वितीय संस्थाओं से ऋण लेने से वंचित रहता है। जिसके लिये अनिवार्य हो गया है कि वादी अपनी कब्जा काश्त की कृषि भूमि व उसके लगान को अन्य काश्तकार से अलग करवा लेंवें।

3. प्रतिवादी मूल रूप से ग्राम उदयरामसर की निवासी है, किन्तु अपने कार्यो में व्यस्त होने के कारण सहकाश्तकार का एक समय पर इकट्ठा होकर जरियें सहमति के खाता विभाजन करवाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। दिनांक 20.01.2017 को प्रतिवादी से सम्पर्क कर सहमति के आधार पर खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया। जिसपर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी मजबूरी बताते हुए एक निश्चित दिनांक को खाता तकसीम हेतु उपस्थित होने मे अपनी असमर्थता जताई। तब वादी के पास दावा प्रस्तुत कर खाता विभाजन करवाने के अलावा अन्य कोई रास्ता शेष नहीं रह गया। यही तारीख बिनाय दावा मुखास्तम बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी को प्राप्त हुयी है। राजस्थान राज्य भूमेधारी होने के कारण प्रस्तुत वाद में एक आवश्यक अनिवार्य पक्षकार है, जिसके विरूद्ध कोई

सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। वाद पत्र में निवेदन किया गया है कि खाता विभाजन की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की जारी की जावें कि विवादग्रस्त कृषि भूमि वाके रोही उदयरामसर खसरा नं. 1997/1134 तादादी 3.300 हेक्टेयर 1998/1135 तादादी 0.2200 हैक्टेयर कुल तादादी 3.5200 हैक्टेयर मे से 3.08 हेक्टेयर पर निरन्तर कब्जा काश्त भूमि एवं लगान का अलग खाता किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से अंकन किया जावें।

4. इस वाद पत्र के पेश होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादियों को जरिये समन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 को समन तामिल होकर प्राप्त हुवा व प्रतिवादी सं. 1 को समन तामिल नहीं होने के कारण रजिस्टर्ड एडी से तामिल करवाने हेतु समन पेश करने हेतु वादी वकील को आदेशित किया गया व वादी के वकील द्वारा समन जरिये रजि. एडी से करवाने हेतु पेश किया गया, जो जारी किया गया। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के समन रजि. एडी से करवाने की रसीद पेश की गयी। प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी सं. 2 राजस्थान सरकार भूमिघारी होने के कारण आवश्यक पक्षकार है व प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही होने के कारण पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गयी। वादी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपने साक्ष्य हेतु स्वयं का शपथ पत्र पेश किया व अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नक्शा प्रदर्श EXP-1 व जमाबन्दी ग्राम उदयरामसर की सम्वत् 2072–2075 प्रदर्श–2 करवाये गये।

5. वकील वादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादी का खाता विभाजन कब्जा काश्त के अनुसार किया जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई हैं। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत अराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि हैं। जिसे वादी अपनी बहस अनुसार कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन करवाना चाहता है। किन्तु वादपत्र में वादी द्वारा अनुतोष सिर्फ विभाजन का चाहा है। वादपत्र में वादी द्वारा वादगत भूमि के आसा–पासा का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं और ना ही वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में आसा–पासा जैसा कोई उल्लेख किया गया है। इसलिए कब्जे काश्त अनुसार विभाजन का अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी वाद पत्रानुसार स्वीकार किया जाकर प्राथमिकी डिक्री जारी की जाती हैं। तहसीलदार राजस्व बीकानेर को ग्राम उदयरामसर के खेत खसरा नं. 1997/1134 तादादी 3.300 हैक्टेयर व खसरा नं. 1998/1135 तादादी 0.2200 हैक्टेयर कुल तादादी 3.5200 हैक्टेयर भूमि हेतु वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि का विभाजन **By Meets and Bounds** के आधार पर तैयार किये जाकर उनके खाते व लगान पृथक पृथक कायम किये जाकर उनकी भूमियों को नक्शें में अलग–अलग रंगों से दर्शातें हुवें दो–दो प्रतियों मे इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा प्राथमिकी डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2020.03.03 14:51:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: